

7-5  
24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित,  
वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान  
प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तुअ  
की।


मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील  
प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। न्यायहित  
में वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 09 R09



तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

संपठित द्वारा 151 जा-डीप स्वीकार किया  
जाता है तथा प्रार्थना पत्र 212 R.N.A पूर्व  
दिनांक 14-3-24 को अदम टाजरी / अदम  
पैरवी में खारीज किया गया। उसको पुनः  
नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता  
है। पत्रावली फ़ैलस शुमार लेकर मूल प्रार्थना  
पत्र 212 R.N.A के साथ सलग्न है।

  
उपसचिव अधिकारी  
माण्डल